न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2025 **दायर दिनांकः 02.01.2025**

उनवान

1. चन्द्रकांति आयु 71 वर्ष पुत्री जुहारीलाल जाति मीणा निवासी मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 28.05.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू में प्रार्थिया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 228 का खसरा नं. 115 का रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 176 का रकबा 0.99 है0, खसरा नं. 740 का रकबा 0.14 है0, खसरा न. 79 का रकबा 0.66 है0, खसरा न. 943 का रकबा 0.20 है0, खसरा न. 951 का रकबा 0.02 है0, खसरा न. 952 का रकबा 1.59 है0 की कुल किता 7 का रकबा 3.65 हैक्टर आराजी शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमे प्रार्थिया का हिस्सा 1/20 दर्ज खाता चला आ रहा है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थिया का नाम प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा फौती नामान्तरण में वारिसान का नाम दर्ज करते समय सहवन से चन्द्रकांति पुत्री जुहारीलाल के स्थान पर गणेशीबाई पुत्री जुहारीलाल अंकित कर दिया है जो कि गलत है। प्रार्थिया का सही नाम चन्द्रकांति है जो कि उसके आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि दस्तावेजो में भी चन्द्रकांति नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज व ग्राम पंचायत भैंसडा तथा ग्राम पंचायत जीरोद द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न

है। प्रार्थिया राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम गणेशीबाई के स्थान पर चन्द्रकांति दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। बिना सहायता न्यायालय राजस्त रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थिया का नाम गणेशीबाई कर देने से प्रार्थिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब को अपार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल मेरमातालाब तह. अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू में आराजी खाता संख्या 228 का खसरा नं. 115 का रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 176 का रकबा 0.99 है0, खसरा नं. 740 का रकबा 0.14 है0, खसरा न. 79 का रकबा 0.66 है0, खसरा न. 943 का रकबा 0.20 है0, खसरा न. 951 का रकबा 0.02 है0, खसरा न. 952 का रकबा 1.59 है0 की कुल किता 7 का रकबा 3.65 हैक्टर आराजी में प्रार्थिया का नाम गणेशीबाई के स्थान पर चन्द्रकांति दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1136 दिनांक 25.04.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मेरमातालाब सम्वत 2074–77 खाता संख्या 228, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत भैंसडा प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत जिरोद प्रमाण पत्र,

शपथ पत्र गवाह चन्द्रकान्ति पुत्री जुहारीलाल जाति मीणा निवासी मेरमातालाब, शपथ पत्र छोटूलाल पुत्र जुहारीलाल जाति मीणा निवासी मेरमातालाब, शपथ पत्र श्योपाल पुत्र जुहारीलाल जाति मीणा निवासी मेरतालाब व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। छोटूलाल पुत्र जुहारीलाल जाति मीणा निवासी मेरमातालाब तथा श्योपाल पुत्र जुहारीलाल जाति मीणा निवासी मेरमातालाब दोनो जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 ग्राम मेरमातालाब खाता संख्या 228 में सहखातेदार है तथा दोनो सहखातेदारों ने गणेशी बाई का सही नाम चन्द्रकांति होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्य गवाहान तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 228 का खसरा नं. 115 का रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 176 का रकबा 0.99 है0, खसरा नं. 740 का रकबा 0.14 है0, खसरा न. 79 का रकबा 0.66 है0, खसरा न. 943 का रकबा 0.20 है0, खसरा न. 951 का रकबा 0.02 है0, खसरा न. 952 का रकबा 1.59 है0 की कुल किता 7 का रकबा 3.65 हैक्टर आराजी में सहखातेदार गणेशी बाई पुत्री जुहारीलाल के स्थान पर चन्द्रकान्ति उर्फ गणेशी बाई पुत्री जुहारीलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 228 का खसरा नं. 115 का रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 176 का रकबा 0.99 है0, खसरा नं. 740 का रकबा 0.14 है0, खसरा न. 79 का रकबा 0.66 है0, खसरा न. 943 का रकबा 0.20 है0, खसरा न. 951 का रकबा 0.02 है0, खसरा न. 952 का रकबा 1.59 है0 की कुल किता 7 का रकबा 3.65 हैक्टर आराजी में सहखातेदार गणेशी बाई पुत्री जुहारीलाल के स्थान पर चन्द्रकान्ति उर्फ गणेशी बाई पुत्री जुहारीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा अटरू व शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा खेडलीगंज को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां